



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9024 वर्ष 2026

अय्यूब उर्फ बुधिया वाला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	राहुल कुमार पाल, राहुल सक्सेना
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

(क्रम संख्या 17/121)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,

1. वादसूची पुनरावलोकित की गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया।
3. आवेदक मामला अपराध संख्या 94 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 333, 190, 351(3), 103(1), 352 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन रेलवे रोड, जिला मेरठ में परीक्षण की लंबितता के दौरान जमानत मांगता है।
4. अभियोजन पक्ष के कथनानुसार, 15.8.2025 को मदरसा में एक मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान स्पीकर गिरने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद, अभियुक्त और अन्य सह-अभियुक्तों ने सूचनाकर्ता के घर में घुसकर उसके बहनोई अब्दुल पर कुर्सियों और लोहे की छड़ों से हमला किया, जिससे उसे चोटें आईं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग सात घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और व्यापक आरोप हैं, लेकिन बाद में, सूचनाकर्ता के अभिकथन में, आवेदक की भूमिका लोहे की छड़ (सरिया) से चोट पहुंचाने की बताई गई है, जबकि सह-अभियुक्त व्यक्ति को मृतक को कुर्सी से मारने का आरोप बाद में लगाया गया है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आरक्षी संख्या 2395 रोहित कुमार के अभिकथन से भी यह स्पष्ट होता है कि घायल व्यक्ति पुलिस स्टेशन तो पहुँच गया था, लेकिन उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह अपने रिश्तेदारों से बात करने के बाद ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से झूठे फँसाने का मामला है। यह मामला गैर इरादतन हत्या से आगे नहीं बढ़ता।
8. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 16.8.2025 से जेल में अवांछित स्थिति में पड़ा हुआ है और वह परीक्षण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विवाद नहीं कर सके।
10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, आरक्षी के अभिकथन और प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए सामान्य और व्यापक आरोपों, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर केवल एक ही चोट पाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला स्थापित कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपरोक्त मामले के अपराध में अभियुक्त- **अय्यूब उर्फ बुधिया वाला** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक परीक्षण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किए गए संप्रेक्षण किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

17 मार्च, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।